न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 60 / 2019　　　　तारीखरजू:- 21-6-19

उनवानः– श्याम सुन्दर बनाम मोहनलाल वगै0

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
21-6-19	वादी की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 16.07.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2257-58 21-6-19
16.7.19	वादी वकील उप0। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी नं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. सा0 दौरे पर पधारे हैं आईन्दा दिनांक 2-8-19 को पेश हो। रीडर	
2-8-19	वकुलाय उप0। प्रतिवादी नं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा की नकल वादी वकील ने प्राप्त की। जवाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया है। तनकीयात कायम करने दिनांक 26.8.19 को पेश हो।	
26.8.19	वादी की ओरसे श्री विष्णु कुमार कंटक Adv. ने उप0 होकर आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश करने का कथन किया। P.O.सा. अवकाश पर पधारे हैं, गतानुसार दिनांक 2.9.19 को पेश हो। रीडर	
2.9.19	वादी की ओर से श्री विष्णु कुमार कंटक Adv. ने वकालतनामा पेश किया। गतानुसार दिनांक 25.9.19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ

दिनांक	फर्द अहकाम
25-9-19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित नहीं हो क्रम-क्रम कर कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी तथा प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी मे से कोई भी उपस्थित नही है। अतः यह दावा मय काऊन्टर क्लेम अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner